न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

ठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 205/2016

1 ठाकरराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व ज़िला श्रीगंगानगर (मृतक)
- 1.1 सुर्या (पत्नी)
- 1.2 महेन्द्र (पुत्र)
- 1.3 कलावती (पुत्री)
- 1.4 छोटी (पुत्री)

} जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2 जगतपाल पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (नाम तर्क आदेश दिनांक 27.05.2003)

3 श्रीमति रूकमा पत्नी हेतराम पुत्री जैठाराम निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 मु. जयकौरी पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

5 मु. अनचाही पत्नी मूलाराम पुत्री जैठाराम जाति जाट मुखत्यारआम ठाकररामपुत्र श्री जैठाराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6 महेन्द्रसिंह पु श्री सूरजाराम बैनीवाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 जगदीश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2 सुरेन्द्र पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3 जलफूल पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)
- 3.1 गुड्डी बेवा श्री जलफूल
- 3.2 पवन कुमार पुत्र श्री जलफूल
- 3.3 युवराज पुत्र श्री जलफूल

} नाबालिग जरिये माता गुड्डीदेवी निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

4 रमेश चन्द्र
5 श्योप्रकाश
6 श्योनारायण

} पिसरान श्री श्योकरण जाति जाट साकिनान महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7 महेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुरजाराम बैनीवाल (जाट) निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 183 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री श्री रामप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता	प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15-1-19

वादीगण ने दिनांक 18.12.1989 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार

लगातार 2

जेठाराम पुत्र श्री बीझाराम के दौ आरते मु. आसी व मु. जमना थी मुत्र आसी के नुत्फे ईयान हुए तथा मु. जमना के मुतफे से कोइ औलाद नरीना या मदीना नहीं थी।

जेठाराम का देहान्त अरसा 21–22 वर्ष पूर्व हो चुका है जेठाराम नें अपनें जीवनकाल नी समस्त सम्पति कृशि भूमि की देखभाल करता था। मु. जमना को जब जेठाराम ने पत्नि अपनें घर पर रखा तब उसके परिवार के लोग एवम् मु. जमना नें कहा कि मेरे के लिये कुछ भूमि मेंरे को दीं जावे, इस दबाब में आकर एवम् मु. जमना को क दबाब व उसके रिश्तेदारों के दबाब के कारण श्री जेठाराम नें चक 1 एच.एच. की 9–12 बीघा भूमि जरिये पंजिबद्ध हिबानामा दिनांक 30.04.1956 को सीमित परिवार पर हिबानामा में यह तथ्य दर्ज किये गये कि श्रीमति जमना के वतन व मिकर के नुत्फे से औलाद नहीं है। श्रीमति जमना मेरी सेवा तन मन से करती है मै उसकी सेवा व प्रेम से खुश हुँ और ब सिलसिला सेवा श्रीमति जमना अपनी धर्मपत्नी को वास्ते गुजारा यात अपनी जायदाद मजकूरा वाला में से मुरब्बा नम्बर 52 के 19–12 बीघा व मुरब्बा 53 के 10–100 बीघा हिबा करती हूं, यह भी दर्ज किया कि श्रीमति जमना हयात बतौर गुजारा कामल व आराजी पर होगें, श्रीमति जमना को रहन, बैय बिला कनामा या दीगर किसी भी तरह से मुन्तकित करनें का कोई हक नहीं होगा। और यह भी दर्ज किया गया कि जेठाराम के लड़के की रजामन्दी से आराजी को मुन्तकिल किया केगा।

उपरोक्त आराजी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मुरबा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 की 18 2 ता 9 की 8 बीघा, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 19 की 8 बीघा, 20 में बिस्वा कुल 19 बीघा 12 बिस्वा नहरी, मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 4 व 8 ता कुल 10.00 बीघा भूमि वाके चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर में पैमूद हुई।

इसके अलावा मु. जमना के हिस्से मे 235–2/3 हिस्सा में निस्फ भूमि मुरब्बा नम्बर 1 व 12 में ठाकर राम बगैरह के साथ है, इस प्रकार जमना के नाम 33.10 बीघा भूमि मु. जमना की मृत्यु के बाद स्वतः ही जमीन मुदईयान कें आद्यै हो चुकी है।

इसके अलावा मु. जमना के नाम से ग्राम बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ में 6.325 हैक्टर नी भूमि थी, मुदईयान दावा हाजा अदालतवाला में पेश करनें के लिये कानूनी सक्ष्म है, कि जायदाद दोनों जगह है।

श्रीमति जमना माता मुदईयान का देहान्त दिनांक 08.12.1989 को बमुकाम गांव यांवाली में हो चुका है मुदायलेहम नम्बर 1 ता 7 का किसी प्रकार से कोई रिश्ता मु. ना से या मुदईयान से नहीं है। मु. जमना औरतजात थी उसकी कमजोरी का नाजायज दा उठाकर आराजी जेर बहस पर नाजायज रूप से माह अक्टूबर 1987 में काबिज हो है, क्योकि मु. जमना वादी संख्या 1 से अलग रहती थी, एस वक्त मुदई संख्या 1 नें यह स लगाया कि हो सकता है, कि मु. जमना नें आराजी को ठेके पर दे रखा हों, मु. जमना देहान्त के बाद मुदई नें मुदायलेहम को आराजी जेरे का कब्जा छोड़नें हेतु और कहा कि जमना को हिन्दु उत्तराधिकार के अन्तर्गत हम वारिसान है। लेकिन मुदायलेहम नें जो कि धिक प्रभावशाली एवम् झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है, नें कहा कि इस जमीन के आप नी प्रकार से कोई हकदार नहीं है। क्योकि मुदायलेहम नम्बर 1 ता 6 नें चक 1 एच.एच. सील श्रीगंगानगर की भूमि की वसीयत करवा रखी है और मुदायलेहम संख्या 7 कहा कि ना बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ की भूमि की वसीयत भी करवा रखी है। तब मुदई ने इन यों की छान बीन की और उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहां से वसीयत की सत्य लिपि प्राप्त की, मु. जमना को उपरोक्त आराजी जैर बहस वसीयत करनें का कोई

कानूनन अधिकार नहीं था। ना ही मु. जमना नें दिनांक 06.10.1987 को मुदायलेहम के हक में कोई वसीयत की। तथा कथित दोनों वसीयतें फर्जी साजिशी एवम् बनावटी तैयार की गई है। मु. जमना दिनांक 06.10.1987 को वसीयत करनें में समक्ष नहीं थी।

मुदईयान नें मुदायलेहम को दिनांक 13.12.1987 को बमुकाम महियांवाली में समस्त तथ्यों से अवगत करवाया और कहा की भूमि का कब्जा छोड़ देवे और फर्जी व साजिशी वसीयत के आधार पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवानें की न करें और वसीयत रसीद संख्या 24/91, 24/92 का अस्तिव किसी प्रकार से ना समझे और इसे स्वतः ही मन्सुख हुआ समझे तब मुदायलेहम नें कहा कि जाओ जो कुछ करना है कर लो हम तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवायेगें और कब्जा भी भूमि का नहीं देगें इसलिये मुदईयान बतौर वारिसान हर प्रकार से इस्तकरार हक व दावा करनें एवम् बेदखली का दावा करने के अधिकारी है। सिवाय इस विकल्प के मुदईयान के पास और साधन नहीं है।

मुदायलेहम के पास मुदईयान स्वंय भी गये और रिश्तेदारों के जरिये भी कहलवाया लेकिन मुदायलेहम समस्त मुदईयान के अधिकारों से इन्कार कर दिया और दिनांक 14.12.1989 को इन्कार हो गये असी यही बिनाय मुखास्मत दावा है।

लिहाजा दावा मुदईयान खिलाफ मुदायलेहम प्रस्तुत करके निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) डिक्री ईस्तकरार इस इमर की मुदईयान के हम में सादिर फरमाई जावे कि आराजी मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा, 2 ता 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा कुल 19 बीघा 12 बिस्वा नहरी व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 ता 4 व 8 ता 13 कुल 10.00 बीघा भूमि वाके चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर व मौजा बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ में खसरा नम्बर 165 में 5.325 व खसरा नम्बर 170 मिन 1.000 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि बारानी का खातदार घोषित किया जावे।

(ख) डिक्री बेदखली खिलाफ मुदायलेहम बहक मुदईयान सादिर फरमाई जावे।

(ग) डिक्री मध्यवर्गी लाठा सन् 1988–89 का 15,0000/– रूपया प्रति वर्ष की खिलाफ मुदा. फरमाई जावे।

(घ) अन्य कोई दादरसी करीनें अन्साफमुफी मुदईयान हो अताः फरमाई जावे।

वाद वादी 117/1989 नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 02.01.1990 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया सहिता तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया सहिता प्रस्तुत किया गया

वादीगण द्वारा दिनांक 08.01.1990 को उक्त प्रार्थना पत्रों का जबाब प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 08.01.1990 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया सहिता प्रस्तुत किया जिसका जबाब वादीगण द्वारा को प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्रों का दिनांक 09.01.1990 को निर्णित करते हेतु आदेश पारित किये गये कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में उठाये गये आक्षेपों को अपनें जबाब में रख

लगातार 4

सकते है जिनका वाद बिन्दू बनाये जाकर निर्णय पारित किया जा सकता है अतः प्रतिवादी जबाबदावा प्रस्तुत करें ताकि वाद बिन्दू बनाये जाकर कानूनी बिन्दूओं पर पहले निर्णय लिया जा सके।

प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा दिनांक 02.01.1990 को जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत बिन्दूवाद जबाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण अगर डिक्री किया जाता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रितिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 22.01.1990 को जबाब दावा प्रस्तुत किया गया, जबाब दावा में प्रारम्भिक आपत्तियों में कथन किया कि इच्छापत्र व हिब्बानामा के सम्बंध में इस न्यायालय को कोई प्रश्न निर्धारित करनें की अधिकारिता नहीं है। इच्छा पत्र की अधिकारिता एवम् हिब्बानमा से क्या अधिकार उत्पन्न हुए को ना तो यह न्यायालय विचारित ही कर सकता है और न ही इन पर कोई निर्णय पारित कर सकता है।

वादीगण नें वयसीत जो पंजीकृत है, को वर्तमान होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है, आद आदेश 7 नियम 11 सि.पी.सी. के अन्तर्गत निरस्त किये जानें योग्य है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जानें से पूर्व ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 नें एक वाद न्यायालय मुसिफ साहब श्रीगंगानगर में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें वादीगण उपस्थित हो चुके है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 नें वसीयत के आधार पर न्यायालय जिला न्यायाधीश में इच्छापत्र के आधार पर प्रोबेट प्राप्त करनें हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, वादीगण इसमें भी उपस्थित हो चुके है, दोनों विवादों में विवाद बिन्दू एक ही है, तथा पक्षकार भी एक ही है। सिविल न्यायालय वाद सुननें में सक्षम है। इसी सूरत में इस वाद को सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना काननू सम्वत् है ऐसी सूरत में वाद चलनें योग्य नहीं है।

मृतक जमनादेवी नें जो सम्पत्ति छोड़ी है, एवम् इच्छा पत्र द्वारा दी है, उसमें आबादी भूमि में निर्मित मकान एवम् अन्य चल सम्पत्तियां है। इसके सम्बंध में वाद केवल सिविल न्यायालय में ही लाया जा सकता है। इस न्यायालय को सूनने की अधिकारिता ही प्राप्त नहीं है। हिब्बानामा द्वारा क्या सिमित अधिकार ही दिये गये थे तथा क्या मृतक जमनादेवी सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनि हिन्दू उत्तराधिकार कानून के आनें के पश्चात बन चुकि है, प्रश्न उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। वादीगण का वाद स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है।

वादीगण द्वारा वाद में भिन्न भिन्न वसीयतों को एक ही वाद में विवादित किया है प्रतिवादी संख्या 7 को वसीयत की गई सम्पत्ति इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है उसके पक्ष में वसीयत भी अलग से हुई है इस कारण पक्षकारों के कुसंयोजन होनें के कारण वाद निरस्त किये जानें योग्य है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपनें जबाबदावा में मदवाद जबाब देते हुए कथन किया कि जेठाराम के दो पत्नियां आसी एवम् जमना होना एवम् जमना के औलाद ना होना स्वीकार है शेष तथ्य स्वीकार नहीं है, ठाकरराम आसी से उत्पन्न ही नहीं हुइा है एवम् अपनें आपको कथित रूप से जेठाराम के गोद होना कथित करता है, जबकि गोदनामा के सम्बंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादीगण के असत्य ब्यानों के आधार पर वाद पत्र निरस्त किये जानें योग्य है।

जेठाराम को देहान्त हो जाना पंजीकृत हिब्बानामा निष्पादित करवाया जाना स्वीकार है, शेष तथ्य स्वीकार नहीं है वादीगण द्वारा समस्त तथ्यों को जानबुझकर गल्त एवम्

लगातार

धारहीन रूप से केवल मात्र सम्पत्ति प्राप्त करनें के उदेश्य से अंकित किये है वादीगण के थन स्वयं में ही हिब्बानामा में अंकित कारणों से विरोधाभाषी है। जेठाराम की समस्त म्पत्ति के उसकी मृत्यु के उपरान्त दो अधिकारी आसी और जमना (मृतक) बनते है। आसी की मृत्यु जमना से पूर्व में ही हो गई थी। ऐसी स्थिति में जेठाराम की विवादग्रस्त सम्पत्ति को छोड़कर जिसे जेठाराम नें अकेले नें कब्जा कर रखा है केवल जमना ही सम्पत्ति की स्वामिनी थी। लेकिन ठाकरराम वादी नें जेठाराम की विवादग्रस्त सम्पत्ति को छोड़कर समस्त पर कब्जा कर रख था, तथा विवादग्रस्त सम्पत्ति जो कि मृतक जमना की सम्पत्ति हो चुकि थी तथा जिसकी वह पूर्ण रूप से मालिक बन चुकि थी को छोड़कर शेष बहुत बड़ी सम्पत्ति में से मृतक जमना को उनका हिस्सा नहीं दिया। राजस्व रिकार्ड में मृतक जमना सह भागीदार के रूप में अंकित है। वह उसकी स्वयं की सम्पत्ति है। जिसे वह प्रत्येक रूप से निस्तारण करनें की अधिकारिणी थी, तथा अपनें इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसनें इच्छापत्र द्वारा स्वेच्छा से सम्पत्ति दी है। इच्छापत्र द्वारा सम्पत्ति देनें में कोई रोक किसी प्रकार की नहीं थी।

प्रतिवादीगण द्वारा अपनें जबाबदावा में मदवार जबाब प्रस्तुत करते हुए अतिरिक्त आपत्तियां दर्ज करते हुए कथन किया कि मृतका जमना को अन्यथा भी अपने पति से उसकी मृत्यु के पश्चात समस्त जायदाद में से हिस्सा प्राप्त होता लेकिन मृतक जेठाराम तो मृतक जमना का पति था की शेष जायदाद उसकी दूसरी पत्नी एवम् उसके वारिसों को दे दी गई अतः इस आधार पर भी जमनादेवी को इच्छापत्र निष्पादित करनें की पूर्ण अधिकारिता थी।

अतः वाद वादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावे। वादीगण कोई अज्ञाप्ति या अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है वादपत्र में आवश्यक तथ्यों का जैसे मुद्राक इत्यादि का कथन नहीं किया गया है ऐसी सूरत में वाद प्राथमिक दृष्टि से निरस्त किये जानें योग्य है मिन प्रतिवादीगण को वादी से असत्य कथनों पर प्रस्तुत किये गये वाद के कारण जो परेशानी एवम् हैरानी हुई है इसलिये 2000/– विशेष हर्जाना क्षतिपूर्ति दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत करनें पर दिनांक 03.07.1990 को पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्मनानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. क्या मृतक जेठाराम नें विवादित भूमि को दानपत्र द्वारा केवल जीवनकाल हेतु मु. जमना को दिया गया था। – – वादीगण
2. क्या मु. जमना की मृत्यु के बाद यह भूमि पर औद्य हो चुकि है। – – वादीगण
3. क्या दिनांक 0.10.1987 को मु. जमना द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कराई गई वसीयत फर्जी है। – – वादीगण
4. क्या प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज है एवम् बेदखल होनें योग्य है। – – वादीगण
5. क्या वादीगण अतिक्रमण अवधि का हर्जाना 15,000/– प्रतिवर्ष प्राप्त करनें के अधिकारी है। – – वादीगण
6. क्या इस न्यायालय को यह वाद सुनने का अधिकार नहीं है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
7. क्या पंजीकृत वसीयत होना स्वीकार करनें के कारण वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
8. क्या सिविल न्यायालय में वाद लम्बित होनें के कारण यह वाद स्टे किये जानें योग्य है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
9. क्या वसीयत कृषि भूमि एवम् आबादी भूमि में निर्मित मकान की होनें के कारण यह न्यायालय वाद सुननें में सक्ष्म नहीं है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
10. क्या मृतक जमना के स्वामित्व के बारें में कोई वाद सिविल न्यायालय में ही लांया जा सकता है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

11. क्या मुखत्यार द्वारा न्यायालय की स्वीकृति नहीं लिये जानें के कारण वाद चलनें योग्य नहीं है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
12. क्या भिन्न भिन्न वसीयतों के सम्बंध में एक ही वाद लानें के कारण यह वाद खारिज किये जानें योग्य है। – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
13. क्या प्रतिवादीगण विशेष हर्जा 2000/– रूपये प्राप्त करनें का अधिकारी है – – प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
14. अन्य अनुतोष

पत्रावली में तनकीयात कायम होनें के पश्चात पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी निर्धारित की गई परन्तु वकील वादी द्वारा दिनांक 14.02.1991 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण से असल वसीयत दिनांक ..... अन्तर्गत आदेश 11 नियम 14 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रस्तुत करवाई जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 13.01.1992 को प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके सन्दर्भ में दिनांक 10.03.1992 को बहस सुनी जाकर वसीयत की प्रमाणित प्रति पेश करनें का निर्णय पारित किया जाकर पत्रावली को वास्ते अग्रिम कार्यवाही निर्धारित की गई।

दिनांक 20.07.1994 व 30.08.1994 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 2 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत दिनांक 19.08.198 को आदेश पारित किया जाकर प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस तनकी नम्बर 6, 7, 8 हेतु निर्धारित की गई। दिनांक 08.03.1999 को तनकी नम्बर 6, 7, 8 पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य निर्धारित की गई।

दिनांक 08.03.1999 को पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर होनें के पर पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 10.11.2003 को निर्णय पारित होकर प्राप्त होनें पर माननीय मण्डल के निर्णयानुसार पत्रावली को पुनः नये नम्बर 25/2005 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनों पक्षों की पुनः सुनवाई हेतु निर्धारित की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 05.10.2005 को प्रार्थना पत्र जैर आदेश 22 सी.पी.सी. जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया गया जिसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा दिनांक 07.12.2005 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके सन्दर्भ में बहस सुनी जाकर दिनांक 12.04.2006 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक निर्धारित की गई।

पत्रावली में संशोधित शीर्षक प्रस्तुत होनें पर वादी की और से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुए जो शामिल पत्रावली किये गये तदोपरान्त वादी की और से दिनांक 20.04.2009 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.पी.सी. प्रस्तुत किया गया इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.05.2010 को जबाब प्रस्तुत होनें पर बहस सुनी जाकर दिनांक 02.02.2012 को प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाकर तनकी नम्बर 6 का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2012 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी दायर होनें पर माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 18.10.2016 को निर्णय पारित कर निगरानी सारहीन होनें के कारण खारिज कर दी गई।

निगरानी संख्या 1355/2012 में माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 18.10.2016 को पारित निर्णय के साथ मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होनें पर पुनः नये नम्बर 205/2016 पर दर्ज की जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही निर्धारित की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार

प्रकरण में दिनांक 03.01.2019 को उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली को पेश में लिये जानें बाबत निवेदन किये जानें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

राजीनामा के अन्तर्गत वादीगण की और से महेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकरराम, कलावती, छोटी पुत्रीयान श्री ठाकरराम निवासीयान गांव महियॉवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, तथा प्रतिवादीगण की और से जगदीश पुत्र श्री श्योकरण, सुरेन्द्र पुत्र श्री श्योकरण, जलफूल (मृतक) बजरिये वारिसान पवन कुमार पिसरान जलफूल, रमेश, श्योनारायण पिसरान श्री श्योकरण, 6. श्यो प्रकाश पुत्र श्री श्योकरण, जाति जाट निवासीयान चक 1 एच.एच. महियॉवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर उपस्थित आये। तथा राजीनामा में कथन किया कि वादी संख्या 1 के दादा जेठाराम पुत्र श्री बीझाराम की दो पत्नीया श्रीमति आशी व श्रीमति जमना थी। जेठाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त भूमि में से श्रीमति जमना को चक 1 एच.एच. का तत्समय मुरब्बा नम्बर पुराना 52 नया 18 के 19.12 बीघा और मुरब्बा नम्बर 53 के 10 बीघा कुल 29–12 बीघा भूमि बजरिये हेबानामा दिंनाक 30.04.1956 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को बजरिये रजिस्टर्ड हेबानामा दी थी, उसके बाद बजरिये वसीयत 06.10. 1987 को उक्त आराजी उनको दे दी थी।, तब से इस भूमि की बाबत आपस में विवाद अदालत हाजा में दो वाद एक वाद ठाकरराम बनाम जगदीश आदि, दूसरा वाद जगदीश आदि बनाम ठाकरराम आदि अदालत हाजा मे चले आ रहे है। जो बाद में समेकित कर दिया गया था। उक्त दोनो वादो को अब पंचायत व रिश्तेदारों द्वारा आपस में सहमति से दोनो फरीकेन को राजी कर राजीनामा करवा दिया गया है और निम्न प्रकार से राजीनामा आपस मे फरीकेन का हुआ है :–

उक्त आराजी चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 16 सालम, किला नम्बर 15 के 10 बिस्वा कुल 6–10 बीघा और वर्तमान में मुरब्बा नम्बर पुराना 52 नया 18 के किला नम्बर 1 ता 5 कुल 5 बीघा कुल तादादी 11–10 बीघा महेन्द्र पुत्र श्री ठाकरराम को मिलेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वर्तमान मुरब्बा नम्बर पुराना 52 नया 18 के किला नम्बर 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा किला नम्बर 8 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 11 में 16 बिस्वा, किला नम्बर 20 के 16 बिस्वा कुल 4–00 बीघा जगदीश पुत्र श्री श्योकरण को मिलेगी।

प्रतिवादी संख्या सुरेन्द्र को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वर्तमान मुरब्बा नम्बर पुराना 52/1.8 के किला नम्बर 6, 7 सालम, किला नम्बर 8 मे 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1 व 10 प्रत्येक के 15 बिस्वा कुल 4–00 बीघा रकबा सुरेन्द्र पुत्र श्री श्योकरण निवासी– महियॉवाली को मिलेगी।

जलफूल (मृतक) (गुड्डी मृतक) पवन कुमार व युवराज पिसरान जलफूल निवासी महियॉवाली को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 53 पुराना /नया 19 के किला नम्बर 11, 12, 13 व 08 प्रत्येक सालम कुल 4–00 बीघा मिलेगा।

रमेश पुत्र श्री श्योकरण निवासी महियॉवाली को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर पुराना 53 नया 19 के किला नम्बर 2, 3, 9 प्रत्येक सालम एंव मुरब्बा नम्बर 53/19 के किला नम्बर 1 व 10 मे 5–5 बिस्वा (किला नम्बर 2 व 9 के साथ चिपता हुआ) व किला नम्बर 4 मे 10 बिस्वा (किला नम्बर 3 के साथ चिपता हुआ) कुल तादादी 4–00 बीघा मिलेगा।

लगातार 8

श्योप्रकाश पुत्र श्री श्योकरण निवासी महियाँवाली को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर पुराना 52 व नया 18 के किला नम्बर 13, 18, 12, 19 प्रत्येक सालम कुल 4 बीघा मिलेगी।

श्योनारायण पुत्र श्री श्योकरण निवासी महियाँवाली को चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर पुराना 52 व नया 18 के किला नम्बर 14, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम कुल 4 बीघा मिलेगी।

चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर पुराना 52 नया 18 में किला नम्बर 11 व 20 में 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा रकबा व मुरब्बा नम्बर पुराना 53 नया 19 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा रकबा जगदीश कुमार, सुरेन्द्र, जलफूल (मृतक) (वारिस पवन कुमार, युवराज), रमेश, श्योप्रकाश, श्योनारायण के नाम से सांझे रहेगे। प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होगा और पवन कुमार व युवराज का दोनो का 1/6 हिस्सा होगा।

इसके अलावा इस भूमि की बाबत रसीवरी मे 1000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से तहसील में लगातार जो राशि जमा करवायी गयी है, उसमें 1/2 हिस्सा राशि वादी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकरराम निवासी महियॉवाली ले सकेगा और शेष 1/2 हिस्सा राशि जगदीश आदि 6 प्रतिवादीगण लेने के अधिकारी होगे, लेकिन छेयो प्रतिवादीगण द्वारा 1/2 जगदीश पुत्र श्री श्योकरण को इस राशि को लेने के लिये अधिकार दिये जाते है ताकि छेयो प्रतिवादीगण को अदालत मे आना नही पड़े। उपरोक्त मुताबिक भूमि जिसके हिस्सा मे आयी है, कागजात राज मे इंतकाल का आदेश फरमाया जावे। आज रोज महेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकर राम को चक हाजा का मुरब्बा नम्बर 8 में 6–10 बीघा व मुरब्बा नम्बर 18 मे 5–00 बीघा कुल 11–10 बीघा रकबा का कब्जा मौका पर दे दिया गया है।

यह भी तय पाया है कि अब फरीकेन का कोई भी वारिस उक्त भूमि के बारे में किसी भी अदालत में कोई भी वाद दायर नहीं कर सकेगा। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने का आदेश पारित किया जावे और इसी मुताबिक इंतकाल कागजात राज में किया जावे और रसीवर शुदा राशि भी फरीकेन को देने का आदेश पारित किया जावे।

उक्त राजीनामा खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिस पर पक्षकारान द्वारा सहमती जारी करनें पर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर व प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत राजीनामा के साथ ही उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों द्वारा कथन किया गया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ है जिसे न्यायहीत में स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर पत्रावली में निर्णय पारित करनें का आदेश प्रदान करें ताकि पक्षकारान के मध्य लोक अदादल की भावना कायम हो सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रकरण अत्यधिक पुराना है तथा अब वर्तमान में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा भी हो चुका है पक्षकारान द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पर सहमति जताई गई है। अतः न्यायहीत में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 9

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का विभाजन किया जाता है :–

1. महेन्द्र पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	8	15 में 10 बिस्वा 16 सालम, 21 ता 25 सालम,	6–10 बीघा
	18	1 ता 5 सालम	5–00 बीघा
कुल भूमि			11–10 बीघा

2. जगदीश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चक 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	18	9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 8 में 10 बिस्वा, 11 में 16 बिस्वा, 20 में 16 बिस्वा	4–00 बीघा

3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी चक 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	18	6, 7 सालम, 8 में 10 बिस्वा,	2–10 बीघा
	19	1 व 10 प्रत्येक में 15 बिस्वा	1–10 बीघा
कुल भूमि			4–00 बीघा

4. पवन कुमार, युवराज पुत्रान जलफुल जाति जाट निवासी चक 1 एच.एच. महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की बहिस्सा बराबर भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	19	8, 11, 12, 13 प्रत्येक सालम	4–00 बीघा

5. रमेश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	19	2, 3, 9 प्रत्येक सालम, 1 व 10 प्रत्येक में 5 बिस्वा (किला नम्बर 2 व 9 के साथ चिपता हुआ) व किला नम्बर 4 मे 10 बिस्वा (किला नम्बर 3 के साथ चिपता हुआ)	4–00 बीघा

6. श्योप्रकाश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	18	12, 13, 18, 19 प्रत्येक सालम,	4–00 बीघा

7. श्योनारायण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1 एच.एच.	18	14, 15, 16, 17 प्रत्येक सालम,	4–00 बीघा

लगातार 10

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार चक 1 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर पुराना 52 नया 18 में किला नम्बर 11 व 20 में 1–1 बिस्वा कुल 2 बिस्वा रकबा व मुरब्बा नम्बर पुराना 53 नया 19 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा रकबा जगदीश कुमार, सुरेन्द्र, जलफूल (मृतक) (वारिस पवन कुमार, युवराज), रमेश, श्योप्रकाश, श्योनारायण के नाम से सांझे रहेगे। प्रत्येक का 1/6 हिस्सा होगा और पवन कुमार व युवराज का दोनो का 1/6 हिस्सा होगा

इसके अलावा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.03.1990 के द्वारा उक्त विवादित आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत रिसिवर किये जानें पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.1993 के द्वारा विवादित आराजी को 1,000/– रूपये प्रति बीघा कैश सिक्योरिटी के आदेश दिये गये थे। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें से मूल वाद का निर्णय होनें विवादित आराजी को रिसीवर मुक्त किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के राजीनामा के अनुसार जमा कैश सिक्योरिटी राशि में से 1/2 हिस्सा राशि महेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकरराम निवासी महियॉवाली को तथा 1/2 हिस्सा राशि को जगदीश पुत्र श्री श्योकरण को नियमानुसार लौटाई जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उक्त वाद संख्या 205/2016 से सम्बंधित अन्य वाद संख्या 275/1997 जो प्रतिवादीगण द्वारा दायर किया गया था में दिनांक 25.09.2006 को निर्णय पारित किया जाकर वाद संख्या 275/1997 को वाद संख्या 205/2016 के साथ समेकित किया गया था में भी उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की जावे।

आदेश आज दिनाक 15-1-19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर